

बिहार को 'वशेष राज्य' का दर्जा देने से इनकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के लिये 'वशेष श्रेणी' का दर्जा देने के अनुरोध को खारजि कर दिया।

प्रमुख बडि:

- वर्तमान में किसी भी नए राज्य को 'वशेष श्रेणी' का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि [भारतीय संवधान](#) में इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है।
 - बिहार वशेष राज्य का दर्जा और अलग वतितीय पैकेज दोनों की मांग कर रहा है। बिहार के लिये वशेष दर्जे की मांग तब से जारी है जब राज्य का वभिजन बिहार तथा झारखंड में हुआ था।
- [गाडगलि फारमूला](#):
 - वशेष श्रेणी के दर्जे के मुद्दे पर पहली बार वर्ष 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council- NDC) की बैठक में चर्चा की गई थी। इस सत्र के दौरान, [D.R. गाडगलि समिति](#) ने भारत में राज्य योजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता वतिरति करने का एक सूत्र प्रस्तावति कथिा था
 - इससे पहले, नधि आवंटन के लिये कोई वशिषिट फारमूला नहीं था और अनुदान व्यक्तगित योजनाओं के आधार पर आवंटति कथिा जाता था।
 - गाडगलि फारमूले, जसिे NDC की मंजूरी मलिी थी, ने केंद्रीय सहायता के आवंटन में असम, जममू-कश्मीर और नगालैंड जैसे वशेष श्रेणी के राज्यों की ज़रूरतों को प्राथमकिता दी।
 - वर्ष 1969 में [पांचवें वतित आयोग](#) ने कुछ क्षेत्रों के समक्ष मौजूद ऐतहिासकि चुनौतियों को स्वीकार कथिा और वशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान कथिा
 - इस सुझाव से वशिषिट वंचति राज्यों को केंद्रीय सहायता और कर राहत सहति वशेष लाभ प्राप्त हुए
 - इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस स्थतिके आधार पर इन राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता आवंटति की।
 - वतितीय वर्ष 2014-2015 तक वशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त 11 राज्यों को वभिनिन लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त थे।
 - हालाँकि वर्ष 2015 में [योजना आयोग](#) के वधिटन और [नीति आयोग](#) की स्थापना के साथ [14वें वतित आयोग](#) की सफिरशिों के परिणामस्वरूप गाडगलि फारमूले पर आधारति अनुदान बंद हो गए।
 - परिणामस्वरूप, सभी राज्यों को आवंटति वभिज्य पूल का हसिसा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।